राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः लेखा/बैठक/2019/ 3219 दिनांकः 15-2-2019

लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारियों की मासिक बैठक दिनांक 07.02.2019 का कार्यवाही विवरण

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर के अधीनस्थ कार्यालयों संयुक्त निदेशक जोन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा प्रमुख चिकित्सा अधिकारी में पदस्थापित लेखाधिकारियों/सहायक लेखाधिकारियों/लेखाकारों/लेखाकर्मियों की मासिक बैठक दिनांक 07.02.2019 को उप वित्तीय सलाहकार (जन0स्वा0) की अध्यक्षता में निदेशालय सभागार में आयोजित की गयी। बैठक में निम्नांकित बिन्दुओं पर विचार–विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गयेः–

क्र.सं.	बिन्दु जिस पर चर्चा हुई	निर्णय लिया गया	अनुपालना जिसके द्वारा की जानी है
1	**बकाया मासिक आय–व्यय विवरण**	मीटिंग में जिन संबंधित कार्यालयों द्वारा माह जनवरी 2019 तक के आय–व्यय प्रस्तुत नहीं किये गये, उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र आय–व्यय विवरण प्रेषित करने बाबत निर्देशित किया गया।	समस्त संयुक्त निदेशक–जोन/समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी एवं समस्त बीसीएमओं
2	**अवमानना प्रकरणों के भुगतान बाबत्।**	बहुउदेशीय कार्यकर्ताओं (MPW) के अवमानना प्रकरणों में अपेक्षित भुगतान की कार्यवाही सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर की जावें। अवशेष अपेक्षित भुगतान राशि की सूचना वित्तीय सलाहकार की **मेल आईडी (famh-rj@nic.in)** पर प्रेषित कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।	–ः उपरोक्तानुसार ः–
3	**आरएमआरएस**	निदेशालय से लेखा मदो के अन्तर्गत जो बजट आवंटन किया जा रहा है इसका व्यय कोषालय के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित करावें। आवंटित बजट राशि को एक मुक्त RMRS में स्थानान्तरित नहीं किया जावें अन्यथा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जाएगी। समस्त पीपीपी मोड़ पर संचालित योजानाओं में भुगतान हेतु यह सुनिश्चित किया जाये किं समस्त व्यय आरएमआरएस में उपलब्ध राशि द्वारा राजस्व हिस्से की राशि को काटकर ही भुगतान किया जावें।	–ःउपरोक्तानुसारः–
4	**महालेखाकार जांच प्रतिवेदनों के बकाया आक्षेपों की अनुपालना**	मीटिंग में बताया गया कि महालेखाकार जांच प्रतिवेदनों के बकाया आक्षेपों की अनुपालना भिजवाने में संबंधित कार्यालयों द्वारा उदासीनता की जा रही हैं एवं बार–बार अर्द्धशासकीय पत्र प्रेषित करके अनुपालनाऐं भिजवाने के लिए लिखने के बावजूद अनुपालनाऐं निदेशालय को प्रेषित नहीं की जा रही हैं, जिसे राज्यस्तरीय ऑडिट कमेटी की मीटिंग 04.01.2019 में गंभीरता से लिया गया। अतः सभी सम्बन्धित कार्यालयों को शीघ्र अतिशीघ्र अविलम्ब अनुपालनाऐं भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।	–ःउपरोक्तानुसारः–
5	**आधिक्य बचत**	मीटिंग में संबंधित कार्यालयों को निर्देशित किया गया कि वे सभी अपने आधिक्य बचत की सूचना 18.02.2019 से 28.02.2019 के मध्य विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार निर्धारित तिथि को उपस्थिति होना सुनिश्चित करावें।	–ःउपरोक्तानुसारः–
6	**बकाया ओ.बी. आईटम्स**	मीटिंग में संबंधित कार्यालयों (जोधपुर, राजसमन्द, नागौर, प्रतापगढ़, चुरू, चित्तौडगढ़, करौली) को निर्देशित किया गया हैं कि वे शीघ्र अतिशीघ्र समस्त प्रकरणों का निस्तारण कर निदेशालय को सूचित करना सुनिश्चित करावें।	–ःउपरोक्तानुसारः–
7	**निरीक्षण विभाग के बकाया विशेष जांच प्रतिवेदन**	मीटिंग में बताया गया कि विशेष जॉच के बकाया पैरा की अनुपालना भिजवाने में संबंधित कार्यालयों द्वारा उदासीनता की जा रही हैं एवं बार–बार अर्द्धशासकीय पत्र प्रेषित करके अनुपालनाऐं भिजवाने के लिए लिखने के बावजूद भी अनुपालनाऐं निदेशालय को प्रेषित नहीं की जा रही हैं, एवं जिन कार्यालयों द्वारा अनुपालनाऐं भिजवाऐं गई हैं, वे यथावत पूर्व की भांति भेजी गई हैं, जो कि राजकार्य के प्रति लापरवाही दर्शाता हैं। अतः मीटिंग में विशेष जॉच प्रतिवेदन के समस्त बकाया पैराज की अद्यतन जानकारी से अवगत कराते हुए अविलम्ब अनुपालनाऐं भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।	–ःउपरोक्तानुसारः–

8	**निरीक्षण विभाग के बकाया भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन**	मीटिंग में बताया गया कि भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन के बकाया आक्षेपों की पालना हेतु पूर्व में 15 दिवस का समय दिया गया था, किन्तु पालना आज दिनांक तक अपेक्षित हैं। अतः सभी लेखा कर्मियों को अपने एवं अधीनस्थ कार्यालयों की बकाया भण्डार भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों की अनुपालना निरीक्षण विभाग को भिजवाने एवं बकाया आक्षेपों की सूचना निदेशालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया हैं।	–ःउपरोक्तानुसारः–
9	**आन्तरिक जांच प्रतिवेदनों के बकाया आक्षेपों की अनुपालना**	मीटिंग में बताया गया कि आंतरिक जांच प्रतिवेदनों के बकाया आक्षेपों की अनुपालना भिजवाने में संबंधित कार्यालयों द्वारा उदासीनता की जा रही हैं एवं बार–बार पत्र प्रेषित करके अनुपालनाऐं भिजवाने के लिए लिखने के बावजूद अनुपालनाऐं निदेशालय को प्रेषित नहीं की जा रही हैं। अतः सभी सम्बन्धित कार्यालयों को शीघ्र अतिशीघ्र अविलम्ब अनुपालनाऐं भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।	–ःउपरोक्तानुसारः–

विविध :–

IFMS की साईट पर आवंटित बजट नियमित रूप से प्रतिदिन देखें तथा अतिरिक्त मांग IFMS देखकर ही करें। इसके अतिरिक्त विभाग की वेबसाईट raj.swasthya/nrhm पर विभागीय पत्र/परिपत्र समय–समय पर अपलोड किये जाते है अतः विभागीय वेबसाईट को नियमित रूप से देखा जाकर, जारी किये जाने वालें पत्रों/परिपत्रों की पालना किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

बैठक में वित्तीय सलाहकार ने अनुपस्थित लेखाकर्मियों की वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन में प्रविष्टि करने के लिए कहा एवं टी.ए., मेडिकल के शेष बजट को समर्पित करने हेतु निर्देशित किया गया तथा 7वें वेतनमान से सम्बन्धित समस्याओं पर विचार–विमर्श किया गया। बैठक में दिये गये उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावें।

बैठक का वित्तीय सलाहकार ने धन्यवाद ज्ञापित कर समापन किया।

वित्तीय सलाहकार,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः लेखा/बैठक/2019/ 3219
दिनांकः 15/2/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, मिशन निदेशक, एन.आर.एच.एम., जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक (जन स्वा0) मुख्यालय।
4. अति0 निदेशक (राजपत्रित/अराजपत्रित) मुख्यालय।
5. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन
6. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
7. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय/मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, सैठी कॉलोनी, जयपुर।
8. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज0 जयपुर।
9. निजी सहायक, निदेशक (वित्त), राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन/मुख्य लेखाधिकारी, परिवार कल्याण/मु0।
10. भण्डार अधिकारी, मुख्यालय (मुख्यालय स्थित वाहनएवं भण्डार सामग्री के निस्तारण बाबत)
11. समस्त लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन।
12. समस्त सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
13. समस्त सहायक लेखाधिकारी/लेखाकार, कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय।
14. लेखाधिकारी/स0ले0अ0 (बजट/आन्तरिक अंकेक्षण/महालेखाकार अंकेक्षण/भण्डार क्रयण संगठन) मु.जयपुर।
15. प्रभारी सर्वर, रूम (मु.) कृपया इस आदेश को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करवाने का श्रम करें।
16. रक्षित पत्रावली

वित्तीय सलाहकार,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर